संख्या-1808 /XVIII-(2)/17-12(4)/2013 TC

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष),
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1 देहरादूनः दिनांक 18 अगस्त, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य आपदा मोचन निधि से प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय/सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत कार्यो हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 804/26 बजट (बाढ़ व भूस्खलन)/2017-18, दिनांक 09.08.2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के मानसून सत्र में राज्य में भारी वर्षा एवं भूस्खलन आदि से राज्य के विभिन्न जनपदों में घटित प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत तात्कालिक कार्यो हेतु बन्द मार्गो को खोले जाने व सेतुओं को पूर्व दशा में लाये जाने आदि कार्यो हेतु धनराशि की मांग की गई है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त राज्य आपदा मोचन निधि में वित्तीय वर्ष 2017-18 में की गई बजट व्यवस्था से ₹ 2500.00 लाख (₹ पच्चीस करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

2- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से व्यय हेतु संशोधित दिशा-निर्देश दिनांक 08.04.2015 में भारत सरकार द्वारा विभागवार तात्कालिक प्रकृति के कार्य स्पष्ट किये गये हैं तथा तात्कालिक प्रकृति के क्षतिग्रस्त कार्यो में मरम्मत हेतु समय सीमा निर्धारित की गयी है। अतः प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि भारत सरकार के उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। **(सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न)**

3- आहरण व व्यय केवल उन मरम्मत एवं पुर्नस्थापना कार्यो के लिए किया जायेगा, जो एन.डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ. के दिशा-निर्देशों में अनुमन्य हैं।

4- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का गलत उपयोग होने पर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

5- सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा लोक निर्माण विभाग के कार्यो में से 5% कार्यो का स्वविवेकानुसार (Randomly) चयन करते हुए Third Party जांच करायी जायेगी व आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- कराये गये कार्यो की अनिवार्यतः फोटोग्राफी एवं यथासम्भव वीडियोंग्राफी भी सुनिश्चित की जायेगी व आख्या जिलाधिकारी व शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

7- स्वीकृत धनराशि उक्त मद में नियमानुसार व्यय की जायेगी एवं अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

8- व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

9— स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

10— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जायेंगी एवं सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

11— कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट अथवा इस बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि इस धनराशि में से व्यय की जायेगी, इसकी लिखित पुष्टि कर ली जायेगी तथा नव निर्माण कार्यो में कदापि धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।

12— कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित जिलाधिकारी / निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

13— उक्तानुसार राज्य आपदा मोचन निधि से लोक निर्माण विभाग को अवमुक्त की जा रही धनराशि के पश्चात जनपदों में जिलाधिकारियों द्वारा इस मद में कोई धनराशि लोक निर्माण विभाग को आवंटित नहीं की जायेगी।

14— उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017—18 के अनुदान संख्या—6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245—प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत—05—राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)—101—आरक्षित निधियों एवं जमा लेखों में अन्तरण एस.डी.आर.एफ.—02—आपदा राहत निधि से व्यय—42—अन्य व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

15— यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0पत्र संख्या—90 / मतदेय / वित्त अनु0—5 / 2017, दिनांक 18 अगस्त, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या— (1) / XVIII-(2)/17-12(4)/2013 TC, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2— अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी एवं लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3— आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4— समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
5— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6— अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7— समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8— निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9— निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10— प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11— वित्त अनुभाग—5, उत्तराखण्ड शासन।
12— गार्ड फाइल।

संलग्न—यथोक्त।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव